रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2003/भाद्र 5, 1925
No. 773] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2003/BHADRA 5, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2003

का.आ. 979(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 763(अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में कतिपय संशोधनों का प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन बनाने का प्रस्ताव करती है, का0आ0 सं0 1164(अ) 5 नवम्बर, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 6 नवम्बर, 2002 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप संशोधनों से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की सामप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 27 नवंबर, 2002 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

## संशोधन

1. उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में "पचास किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर "एक सौ किलोमीटर" शब्द रखे जाएंगे ।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में,-

(क) उपपैरा (1) में " पचास किलोमीटर" शब्दों के स्थान पर " एक सौ किलोमीटर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) ऐसा प्रत्येक संनिर्माण अभिकरण जो कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से पचास से एक सौ किलोमीटर तक के अर्द्ध व्यास के भीतर भवनों के संनिर्माण में लगा हुआ है, प्रत्येक संनिर्माण परियोजना में उपयोग की गई, यथास्थिति, समग्र ईंटों, ब्लाकों और टाइलों के निम्नलिखित न्यूनतम प्रतिशत (परिमाण के अनुसार) के अनुसार, ऐसे संनिर्माण में फ्लाई ऐश ईंटों या ब्लाकों या टाइलों या मृदा फ्लाई ऐश ईंटों या सीमेन्ट फ्लाई ऐश ईंटों या ब्लाकों या वैसे ही उत्पादों या उनके किसी पुंज या समग्र का उपयोग करेगा, अर्थात्:-

(i) 25 प्रतिशत, 31 अगस्त, 2004 तक;

(ii) 50 प्रतिशत, 31 अगस्त, 2005 तक;

(iii) 75 प्रतिशत, 31 अगस्त, 2006 तक;

(iv) 100 प्रतिशत, 31 अगस्त, 2007 तक ।

कोयला या लिग्नाइट तापीय विद्युत संयंत्र से 50 किलोमीटर के अर्ध व्यास के भीतर भवनों के संनिर्माण की बाबत, ईंटों, ब्लाकों और टाइलों के उपयोग की निम्नलिखित न्यूनतम प्रतिशतता (परिमाण के आधार पर) निम्नलिखित को लागू होगी:-

(i) 50 प्रतिशत 31, अगस्त, 2004 तक;

(ii) 100 प्रतिशत 31, अगस्त, 2005 तक ।

(1ख) उप पैरा (1क) के उपबंध सभी संनिर्माण अभिकरणों जैसे आवास बोर्ड और प्राइवेट सेक्टर के उन अभिकरणों को अपार्टमेंटों, होटलों जो आश्रय स्थलों तथा कुटीरों, इत्यादि के में निर्माणकर्ता हैं, लागू होंगे । संनिर्माण करने वाले या डिजाइन अनुमोदित करने वाले या दोनों अभिकरणों का यह उत्तरादायित्व होगा कि वे पैरा (1क) के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करें और ऐसी विवरणियां जो मांगी जाएं और अनुपालन रिपोर्ट, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रस्तुत करें"

(ग) उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(2) उप पैरा (1) के अनुसार ऐश की विनिर्दिष्ट मात्रा का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का सम्बद्ध क्षेत्रीय अधिकारी होगा ।

(2क) सम्बद्ध राज्य सरकार, उप पैरा (1क) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तनकारी और मानिटरिंग प्राधिकारी होगी ।";

(घ) उप पैरा (3) में "पैरा (1) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर " उप पैरा (1) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ङ) उप पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(3क) फ्लाई ऐश ईंटों, ब्लाकों और टाइलों और वैसे ही अन्य फ्लाई एश आधारित उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवेदन पर कोई विनिश्चय सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा । ईंट भट्टा स्थापित करने के लिए सम्मति पर

विनिश्चय, यथास्थिति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा, उसके द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3ख) पैरा 1 के उप पैरा (1) के उपबंधों के अननुपालन की दशा में सक्षम प्राधिकारी, ईंट भट्टा स्थापित करने के लिए जारी सम्मति आदेश को रद्द करने के अतिरिक्त खनन पट्टे के रद्दकरण के लिए जिला प्रशासन को लिखेगा ।

(3ग) किसी भूमि, मृदा या, मिट्टी खनन पट्टे को मंजूर या इन्हें नवीकृत करने वाले सभी प्राधिकारी उन दशाओं में कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के एक सौ किलोमीटर के अर्ध व्यास के भीतर मिट्टी की ईंट, ब्लाक या टाइल का विनिर्माण करने वाली युनिट को ऐसे पट्टे या पट्टे का विस्तार या नवीकरण अनुदत्त नहीं करेंगे जहाँ विनिर्माता ईंटो या ब्लाको या टाइलों के विनिर्माण में फ्लाई ऐश या पान्ड एश के भार के आधार पर न्यूनतम 25 प्रतिशत का मिश्रण नहीं करता है। खनन पट्टे का रद्दकरण ऐसे पट्टे के धारक को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् ही जिला प्रशासन द्वारा विनिश्चित किया जाएगा । ऐश के वास्तविक उपयोग का सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को समर्थ बनाने के लिए तापीय विद्युत संयंत्र प्रत्येक ईंट भट्टा को उपलब्ध कराई गई एश का मासवार अभिलेख रखेगा ।

(3घ) इस अधिसूचना का पर्याप्त अनुपालन तब होगा जब कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के 50 से 100 कि0मी0 के अर्ध व्यास के भीतर अवस्थित मिट्टी ईंटों, ब्लाकों और टाइलों के विनिर्माता इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 12 मास के भीतर उप पैरा (1) और उप पैरा (2) के उपबन्धों का अनुपालन करते हैं ।" ।

(ङ) उप पैरा (4) में "(अखिल भारतीय ईंट और टाइल विनिर्माण संघ)" कोष्ठकों और शब्दों के पश्चात् "या स्थानीय ईंट भट्ठा स्वामियों का संगम, संघ, समूह का कोई प्रतिनिधि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) उप पैरा (4) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(5) कोई अभिकरण व्यक्ति या संगठन आई आर सी विनिर्देश संख्या एस पी- 2001 पत्र 58 में यथा अन्तर्विष्ट भारतीय सड़क कांग्रेस (आई आर सी) द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों/

विनिर्देशों के उल्लंघन में सड़कों या फ्लाई ओवर के तटबंधों के संनिमाण के लिए तापीय विद्युत संयंत्र के 100 कि0मी0 के अर्द्ध व्यास के भीतर संनिर्माण या उसके लिए डिजाइन अनुमोदित नहीं करेगा । इस निदेश से किसी विचलन पर तकनीकी कारणों के संबंध में तभी सहमति हो सकती है जब इसे मुख्य इंजीनियर (डिजाइन) या सम्बद्ध अभिकरण या संगठन के मुख्य इंजीनियर द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है या संनिर्माण के स्थल से 100 कि0मी0 के भीतर अवस्थित कोई तापीय विद्युत संयंत्र (त्रों) से "पांड एश उपलब्ध नहीं है" का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है । यह प्रमाण पत्र एश के लिए अनुरोध करने की तारीख से दो कार्य दिवस के भीतर तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

(6) सड़को या फ्लाई ओवरों के तटबन्धों के टाप या साइड कवरों के लिए अपेक्षित मृदा तटबन्ध स्थल से उत्खनित की जाएगी और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित मृदा की न्यूनतम मात्रा का ही मृदा उधार क्षेत्र से उत्खनन किया जाएगा । प्रत्येक मामले में ऊपर की मृदा (टाप स्वायत्त) को पृथक रूप से रखा या भंडारित किया जाना चाहिए । मृदा उधार क्षेत्र के कारण सृजित रिक्त स्थान उचित सुसंहति सहित एश से भरा जाएगा और यथाउपरोक्त पृथक रूप से रखी गई ऊपरी मृदा से ढक दिया जाएगा । इसे परियोजना की समय - सूची के भीतर तक बन्द परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा ।

(7) कोई अभिकरण, व्यक्ति या संगठन कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के 100 कि0मी0 के अर्द्ध व्यास के भीतर मृदा वाले निचले क्षेत्रों का भूमि उद्धार और सुसंहति अनुज्ञात करेगा । वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा भूमि उद्धार और सुसंहति पैरा 3 के उप पैरा (3) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा अधिकथित उपविधियों, विनियमों और विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा । " ।

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,-

(क) "तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा ऐश का उपयोग" पार्श्व शीर्षक के स्थान पर "तापीय विद्युत संयंत्रों के उत्तरदायित्व" पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा ।

(ख) "सभी कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत् संयंत्र नीचे दिए गए विद्युत संयंत्रों में उत्पादित ऐश का उपयोग करेंगे:-",आरंभिक शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र इसके द्वारा उत्पादित एश का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए

निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-";

(ग) उप पैरा (1) में,-

(i) "भवन सामग्री जैसे सीमेंट, कंक्रीट, ब्लाक ईंटें, पैनल" शब्दों के पश्चात् " या उनको कोई संयोजन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

" तापीय विद्युत संयंत्रों को प्रत्येक उपयोक्ता जिसके अन्तर्गत ईंट भट्टा भी है उपयोग के लिए एश की उचित मात्रा की उपलभ्यता भी सुनिश्चित करनी है ।";

4. उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 2क. समुद्र के भूमि उद्धार के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग

"पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए समुद्र का भूमि उद्धार फ्लाई एश के उपयोग की अनुज्ञेय पद्धति होगी ।" ।

5. उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, निम्नलिखित उप पैरा अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"2क. सभी अभिकरण जिसके अन्तर्गत संनिर्माण प्रयोजनों के लिए फ्लाई एश के उपयोग से सम्बद्ध केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य सरकार अभिकरण भी हैं, 1 सितंबर, 2003 से तीन मास के भीतर फ्लाई एश और फ्लाइ एश आधारित ईंट, ब्लाक या टाइलों या अनुमोदित सामग्रियों और दरों की अनुसूची में उनके समग्र उपयोग के लिए उपबन्ध करेंगे;

(2ख) सड़कों या फ्लाई ओवर पुलों का संनिर्माण करने वाले सभी अभिकरण जिनके अन्तर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एच), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डबल्यू डी), राज्य लोक निर्माण विभाग और अन्य राज्य सरकार के अभिकरण 1 सितंबर, 2003 से तीन मास के भीतर -

क. अपने निविदा दस्तावेजों अनुमोदित सामग्री और दरों साथ ही तकनीकी दस्तावेजों जिनके अन्तर्गत वे दस्तावेज भी हैं जो पैरा 1 के उप पैरा (7) के अनुसार मृदा की अनुसूचियों में उधार क्षेत्र या गर्त से सम्बन्धित हैं, उपबंध करेंगे ; और

ख. सड़क या फ्लाई ओवर तटबन्धों, जो भारतीय सड़क कांग्रेस (आई आर सी) द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, के लिए आवश्यक विनिर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएंगे ।" ।

[फा. सं.16-2/95-एच एस एम डी]

डॉ. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. 763(अ) दिनांक 14-9-1999 द्वारा प्रकाशित की गई है।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2003

**S.O. 979(E).**—Whereas a draft of certain amendments to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests notification number S.O.763 (E) dated 14th September, 1999 (hereinafter referred to as the said notification) which the Central Government proposes to make under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 6th November, 2002 *vide* S.O. 1164 (E), dated the 5th November, 2002 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft amendments were made available to the public.

And, whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 27th November 2002;

And, whereas all the objections and suggestions received from all persons likely to be affected thereby in respect of the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments to the said notification, namely: -

AMENDMENTS

1. In the said notification, in the preamble, for the words "fifty kilometers", the words "one hundred kilometres" shall be substituted.

2. In the said notification, in paragraph 1, -

(a) in sub-paragraph (1), for the words "fifty kilometers", the words "one hundre kilometres" shall be substituted;

(b) after sub-paragraph (1), the following sub- paragraphs shall be inserted, namely:

"(1A) Every construction agency engaged in the construction of building within a radius of fifty to one hundred kilometres from a coal or lignite base thermal power plant shall use fly ash bricks or blocks or tiles or clay fly ash brick or cement fly ash bricks or blocks or similar products ,or a combination o aggregate of them in such construction as per the following minimum percentag (by volume) of the total bricks, blocks and tiles, as the case may be, used in eac construction project, namely:-

(i) 25 per cent by 31st August 2004;

(ii) 50 per cent by 31st August 2005;

(iii) 75 per cent by 31st August, 2006; and

(iv) 100 per cent by 31st August 2007.

In respect of construction of buildings within a radius of 50 kilometres from a coal or lignite based thermal power plant the following minimum per centage (by volume) of use of bricks, blocks and tiles shall apply; -

(i) 50 per cent by 31st August 2004;

(ii) 100 per cent by 31st August 2005.

(1B) The provisions of sub-paragraph (1A) shall be applicable to all construction agencies such as Housing Boards and those in the private sector

builders of apartments, hotels, resorts and cottages and the like. It shall be the responsibility of the construction agencies either undertaking the construction or approving the design or both to ensure compliance of the provisions of sub-paragraph (1A) and to submit such returns as may be called for and compliance reports to the State Government or Union territory Administration";

(c) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely: -

"(2) The authority for ensuring the use of specified quantity of ash as per sub-paragraph (1) shall be the concerned Regional Officer of the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be.

(2A) The concerned State Government shall be the enforcing and monitoring authority for ensuring compliance of the provisions of sub-paragraph (1A).";

(d) in sub-paragraph (3), for the words, brackets and figure "under para (1)" the words, brackets and figure "under sub-paragraph (1)" shall be substituted;

(e) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely: -

"(3A) A decision on the application for manufacture of fly ash bricks, block, and tiles and similar other fly ash based products shall be taken within thirty days from the date of receipt of the application by the competent authority. A decision on consent to establish the brick kiln shall be taken by the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, within a period of thirty days from the date of receipt of application by it.

(3B) In case of non-compliance of the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 1, the competent authority, in addition to cancellation of consent order issued to establish the brick kiln, shall move the district administration for cancellation of the mining lease.

(3C) All authorities sanctioning or renewing any land, soil or clay mining lease shall not grant such lease or extension of lease or renewal to clay brick, block or tile manufacturing unit within a radius of one hundred kilometres of the coal or lignite based thermal power plant in cases where the manufacturer does not mix a minimum of 25 per cent by weight of fly ash or pond ash in the manufacture of bricks or blocks or tiles. The cancellation of mining lease shall be decided by the district administration after giving the holder of such lease an opportunity of being heard. To enable the competent authority to verify the actual use of ash, the thermal power plant shall maintain month-wise records of ash made available to each brick kiln.

(3 D) It shall be sufficient compliance of this notification if within twelve months from the date of issue of this notification, manufacturers of clay bricks, blocks and tiles located within a radius of 50 to 100 kilometres of a coal or lignite based thermal power plant comply with the provisions of sub-paragraphs (1) and (2).".

(f) in sub-paragraph (4), after brackets and letters "(AIBTMF)", the words "or a representative of local brick kiln owners association, federation, group." shall be inserted;

(g) after sub-paragraph (4), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely: -

"(5) No agency, person or organization shall, within a radius of 100 kilometres of a thermal power plant undertake construction or approve design for construction of roads or flyover embankments in contravention of the guidelines/ specifications issued by the Indian Road Congress (IRC) as contained in IRC

specification No. SP: 58 of 2001. Any deviation from this direction can only be agreed to on technical reasons if the same is approved by Chief Engineer (Design) or Engineer-in-Chief of the concerned agency or organization or on production of a certificate of "Pond ash not available" from the thermal power plant(s) (TPPs) located within 100 kilometres of the site of construction. This certificate shall be provided by the TPP within two working days from the date of making a request for ash.

(6) Soil required for top or side covers of embankments of roads or flyovers shall be excavated from the embankment site and if it is not possible to do so, only the minimum quantity of soil required for the purpose shall be excavated from soil borrow area. In either case, the topsoil should be kept or stored separately. Voids created due to soil borrow area shall be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately as above. This would be done as an integral part of embankment project within the time schedule of the project.

(7) No agency, person or organization shall within a radius of 100 kilometres of a coal or lignite based thermal power plant allow reclamation and compaction of low-lying areas with soil. Only pond ash shall be used for compaction. They shall also ensure that such reclamation and compaction is done in accordance with the bye-laws, regulations and specifications laid down by the authorities mentioned in sub- paragraph (3) of paragraph 3.".

3. In the said notification, in paragraph 2,

(a) for the marginal heading "**Utilisation of ash by Thermal Power Plants**", the marginal heading "**Responsibilities of Thermal Power Plants**" shall be substituted;

2432 GI/13 -3

(b) for the opening words, "All coal or lignite based thermal power plants shall utilise the ash generated in the power plants as follows: -", "Every coal or lignite based thermal power plant shall take the following steps to ensure the utilisation of ash generated by it, namely: -";

(c) in sub- paragraph (1), -

(i) after the words "products such as cement, concrete blocks, bricks, panels", the words "or a combination thereof" shall be inserted;

(ii) the following shall be added at the end, namely: -

" The thermal power plants have to ensure availability of fair quantity of ash to each user including brick kilns.";

4. In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"**2A. <u>Utilization of fly ash for reclamation of sea.</u>**

"Subject to the rules made under the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) reclamation of sea shall be a permissible method of utilization of fly ash.".

5. In the said notification, in paragraph 3, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely: -

"(2A) All agencies including the Central Public Works Department and State Government agencies concerned with utilization of fly ash for construction purposes shall, within three months from the 1st day of September, 2003 make provisions for the use of fly ash and fly ash based bricks, blocks or tiles or aggregates of them in the schedule of approved materials and rates.

(2B) All agencies undertaking construction of roads or fly over bridges including Ministry of Road Transport and Highways (MORTH), National Highways Authority of India (NHAI), Central Public Works Department (CPWD), State Public Works Departments and other State Government Agencies, shall, within three months from the 1st day of September, 2003 -

a. make provisions in their tender documents, schedules of approved materials and rates as well as technical documents, including those relating to soil borrow area or pit as per sub-paragraph (7) of paragraph 1; and

b. make necessary specifications/guidelines for road or fly over embankments that are not covered by the specifications laid down by the Indian Road Congress (IRC).".

[F. No. 16-2/95-HSMD]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Footnote:— The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O.763 (E) dated 14.9.1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.